राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1602/2016/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–II, वृत–प्रतिकरापवंचन कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अशोका लीलेण्ड लिमिटेड,
अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/10/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 181/आरवेट/2014–15/अपी.प्राधि./2014–2015 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 03.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.2015 को जगतपुरा के निकट झालावाड़ रोड पर वाहन संख्या एमपी–06–एचसी–0893 को रोक कर चैक करने पर उक्त वाहन में लदा माल प्लाईवुड आन्ध्र प्रदेश से राजस्थान के लिये परिवहनित होना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर माल प्रभारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये उक्त दस्तावेजों की जांच पर माल के साथ विधिक घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न वैट–47 संलग्न नहीं होने से एवं परिवहनित माल को अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर आदेश दिनांक 29.12.2015 से आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2015 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र वेट–47 माल के साथ नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब के साथ बाद में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र वेट–47 को स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। दस्तावेजों के अनुसार ही माल का परिवहन किया जा रहा था। उन्होनें यह भी तर्क दिया कि राज्य के बाहर से आयातित माल 'प्लाईवुड' बस की बॉडी के निर्माण के कार्य में हीं आता है, जो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.12(84) Fin / tax / 2009-21 दिनांक 08.07.2009 के क्रम संख्या–19 पर अंकित प्रविष्टि "Part of automobile and tractor except when used in manufactureing of automobiles of tractors" के अनुसार ऑटोमोबाइल पार्टस की श्रेणी में आने से इसके परिवहन पर घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न नहीं किया गया, प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा संव्यवहार के संबंध में दिनांक 24.01.2015 को ही ऑनलाइन घोषणा पत्र वैट–47 जनरेट कर लिया था व नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा ऑटोमोबाइल्स का विनिर्माण व विक्रय किया जाता है। 'प्लाईवुड' बस की बॉडी के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने में अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के क्रम संख्या–19 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार ऑटोमोबाइल्स की श्रेणी में ही माना जायेगा न कि प्रविष्टि संख्या 22। सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.01.2015 को वाहन चैक किये जाने पर माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–47 नहीं पाया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–47 प्रस्तुत कर दिया गया एवं वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण भी बता दिया गया। प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन

लगातार.....3

करने से स्पष्ट है कि जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट–47 में क्रेता/विक्रेता व्यवहारी की मोहर अंकित है, माल से सम्बन्धित समस्त इन्द्राजात किये हुए है। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच से इस दस्तावेज को असत्य/बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु पारित किया गया आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मैटल्स [(2001) 124 एस.टी.सी. 611]** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी विधिसम्मत नहीं है।

6. उक्त विवेचन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य